

Filling no. RCS-A/245/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 54 ए/2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/245/2018

CNR no. MP30010019762018

सिविल वाद क्रमांक 54 ए/2018

संस्थित दिनांक :-05/04/2018

राजेन्द्र पुत्र राम सिंह, उम्र-55 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुरथरा, तहसील व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

//बनाम//

1. मोतीराम पुत्र राम सिंह, उम्र-60 वर्ष,
2. वीरेन्द्र पुत्र राम सिंह, मृत वारिस
सरोज पुत्री वीरेन्द्र सिंह,
निवासी-सकराया का बंगला, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
3. महेन्द्र पुत्र राम सिंह मृत वारिस
अ. जितेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र, उम्र-18 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुरथरा, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
ब. सुमन पुत्री महेन्द्र, निवासी-मदायन का पुरा,
जिला-इटावा (उ0प्र0)
4. मुन्नी लाल पुत्र राम सिंह, उम्र-58 वर्ष,
निवासी-ग्राम कुरथरा, परगना व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)असल अनावेदकगण/प्रतिवादीगण
5. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0) तरतीबी प्रतिवादी

वदी द्वारा अधिवक्ता श्री गिरजेश शर्मा एवं श्री पंकज दीक्षित।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री नरेश सिंह बघेल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 3-अ व 4 द्वारा श्री दीपचंद्र तिवारी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 व 5 पूर्व से एकपक्षीय।

//आदेश//

(आज दिनांक **28.04.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/18 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस मामले में ग्राम कुरथरा, परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 301 (पुराना सर्वे नंबर 395) क्षेत्रफल 0.072 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित भूमि”** से निर्दिष्ट) पर वादी के अंश के संबंध में स्वत्व की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।

3. यह अविवादित है कि वादी राजेन्द्र, प्रतिवादी क्रमांक 1 मोतीराम, मृत प्रतिवादी क्रमांक 2 बीरेन्द्र, मृत प्रतिवादी क्रमांक 3 महेन्द्र व प्रतिवादी क्रमांक 4 मुन्नीलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.5.1988 द्वारा विक्रेता शिम्भूदयाल व छोटेलाल से विवादित भूमि क़य की है।

4. आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में वादी, प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है और कोई बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 जबरन निर्माण कार्य कर रहा है, वादी ने एस0डी0एम0 न्यायालय में कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य रुकवा दिया परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 15.03.2018 से पुनः निर्माण करने लगा और बिना बंटवारा कराये हिस्से से अधिक भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 जबरन निर्माण कार्य कर रहा है। विवादित भूमि पर वादी का भी स्वत्व है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, बिना बंटवारा के विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निर्माण कर लेने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमि पर निर्माण से प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि संयुक्त रूप से क़य किये जाने के बाद बंटवारा किया जा चुका है और अपने-अपने हिस्से की भूमि पर सभी का निस्तार है। विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त हिस्से पर ही निर्माण कार्य किया गया है इसीलिये अन्य हिस्सेदारों या उनके वारिसों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, एस0डी0एम0 न्यायालय द्वारा जांच में पिता राम सिंह ने यह बताया था कि वादी को हिस्से में सर्वे क्रमांक 293 दिया गया था जिस पर वादी ने अपना मकान बनाया है और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट व पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी का आवेदन खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है, बंटवारा हो जाने के बाद से ही सभी सहहिस्सेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है, गांव के विरोधी लोगों के बरगलाने पर वादी ने झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर वाद संस्थित किया है, मौके पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, प्रथम दृष्ट्या मामला या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

6. अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में वादी ने मुख्य अनुतोष प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध ही चाहा है, शेष उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और अनिर्वहीत प्रतिवादी क्रमांक 3-ब के विरुद्ध कोई अनुतोष ईप्सित नहीं है।

7. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

8. यह अविवादित है कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी के द्वारा संयुक्त रूप से कय की गयी है। वादी का यह अभिवचन है कि बंटवारा नहीं हुआ है, इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 का यह पक्ष है कि बंटवारा हो चुका है और बंटवारा में प्राप्त जगह पर ही निर्माण कार्य किया गया है। इस मामले में यह सारभूत विवाद अंतर्वलित है कि विवादित भूमि का बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच हुआ है या नहीं।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 का यह पक्ष है कि बंटवारा हो चुका है, किन्तु बंटवारा की कोई लिखत नहीं है और लिखित कथन में यह विनिर्दिष्ट अभिवचन भी नहीं है कि कथित बंटवारा में विवादित भूमि पर किस दिशा में कौन सा हिस्सा किस सहस्वामी को प्राप्त हुआ। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी प्रथम दृष्ट्या मामला दर्शित करने में सफल रहा है, वाद के लम्बन के दौरान विवादित भूमि पर निर्माण की दशा में विवादित भूमि के सहस्वामी वादी को निश्चित रूप से अपूर्णनीय क्षति होगी और विवादित भूमियों को संरक्षित करने हेतु सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में है।

10. प्रतिवादी क्रमांक 1 का यह पक्ष है कि उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उभयपक्ष द्वारा आज दिनांक 28.04.2018 को कथित निर्माण के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ व प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह स्पष्ट है कि मौके पर निर्माण कार्य हो चुका है और उभयपक्ष इस बात पर सहमत हैं कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ आर्टिकल-बी में मौके पर निर्माण कार्य की सही स्थिति दर्शायी गयी है।

11. फोटोग्राफ आर्टिकल-बी के अनुसार पीछे कमरे का निर्माण नहीं हुआ है, केवल दीवाल आधी बनी हुयी है और फोटोग्राफ आर्टिकल-ए के अनुसार सामने की तरफ कमरे का निर्माण पूरा हो चुका है। उभयपक्ष फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी में दर्शित निर्माण की वर्तमान स्थिति पर सहमत हैं, अतः फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी को अभिलेख पर लिया गया।

12. इस मामले में यह सारभूत विवाद अंतर्बलित है कि विवादित भूमियों का बंटवारा हुआ है या नहीं और एक सहस्वामी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निर्माण कार्य करने से अनावश्यक विवाद व मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अतः किसी भी पक्ष के विजयी होने की संभावना पर विचार किये बिना वादी का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/18 स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाता है कि वह फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी में दर्शित वर्तमान स्थिति से आगे मौके पर कोई सारभूत निर्माण कार्य न करे और न ही करावे।

13. यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी में दर्शित निर्माण पर प्लास्टर, पुताई, दरवाजे-खिड़की पर पेण्ट व बारिश से बचने का छज्जा बनाने या निवास हेतु अधिक उपयोगी बनाने के सुधारात्मक कार्यों पर उक्त निषेधाज्ञा लागू नहीं है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

14. फोटोग्राफ आर्टिकल-ए व आर्टिकल-बी इस आदेश का भाग रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)	(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड	द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)	(म0प्र0)